संख्या- 87/2111/बयालिस-2015-29(निर्माण)/2009

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2015**

विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि क्रय के स्म्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 629/नि0 कासगंज स्टे0पत्रा0/2012-13, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि राज्यपाल महोदय जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए शासनादेश संख्या- 529/बयालिस-2010-29(निर्माण)/2009, दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति रू0 1,35,62,847/- के स्थान पर जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माणार्थ ग्राम फरीदपुर में राजकीय पालीटेक्निक के पीछे काश्तकारों की भूमि को क्रय के लिए रू0 2,68,44,800/- की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या- 529/बयालिस-2010-29(निर्माण)/2009, दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1,35,62,847/- के उपरान्त वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 131.00 लाख (रू0 एक करोड़ इकत्तिस लाख मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त धनराशि की स्वीकृत चालू वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 131.00 लाख (रू0 एक करोड़ इकत्तिस लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके जिलाधिकारी, कासगंज को उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि को लम्बे समय तक बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि किसी भी दशा में अन्य कार्यों/प्रयोजन/मदों में व्यय नहीं की जायेगी। भूमि

http://shasanadesh.up.nic.in

का क्रय शासन के नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रतिकर की धनराशि की गणना निर्धारित नियमों के अन्तर्गत करते हुए तत्काल नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3)- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-96-जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- 87/2111(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, कासगंज।
(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)- नियोजन अनुभाग- 4
(8)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in